

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

CIN :- U40101UR2004SGC028675

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

E-mail : hr@ptcul.org

दूरभाष नं० 0135-2645249 फैक्स नं० 0135-2645249 वेबसाइट : www.ptcul.org

पत्रांक : 1778/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/

दिनांक: 21.11.2025

विषय:- सेवानिवृत्त कार्मिकों पारिवारिक पेंशनधारियों एवं मृत कर्मचारियों के लम्बित देयको/पेंशन प्रकरणों के निस्तारण तथा कार्मिकों के पदधारिता विवरण के सम्बन्ध में दिनांक 15.11.2025 को कारपोरेट मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.....।

कृपया दिनांक 15.11.2025 को सेवानिवृत्त कार्मिकों, पारिवारिक पेंशनधारियों एवं मृत कर्मचारियों के लम्बित देयको/पेंशन प्रकरणों के निस्तारण तथा कार्मिकों की पदधारिता के सम्बन्ध में कारपोरेशन मुख्यालय में आयोजित की गयी मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त की प्रतिलिपि संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित की जा रही है।

संलग्न: यथा उपरोक्त।

(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा०सं०)(औ०)

पत्रांक / मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/ तददिनांक : -

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी-सचिव-निदेशक (मा०सं०)/(परिचालन), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
3. समीक्षा बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारी।
4. अधिशासी अभियन्ता (सू०एवंप्र०), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया विषयगत पत्र को संलग्नक सहित कारपोरेशन की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथा उपरोक्त।

(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा०सं०)(औ०)

सेवानिवृत्त कार्मिकों/पारिवारिक पेंशनधारियों तथा मृतक कार्मिकों के लम्बित विभागीय देयकों/पेंशन प्रकरणों के निस्तारण तथा कार्मिकों की पदधारिता विवरण के सम्बन्ध में दिनांक 15.11.2025 को कारपोरेट मुख्यालय में आहूत समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति:

बैठक में विभिन्न इकाईयों, वित्त विभाग तथा मानव संसाधन विभाग के कार्मिक ऑन. लाईन/ऑफ लाईन माध्यम से उपस्थित हुए।

अधिकारियों की उपस्थिति

1. श्री अशोक कुमार जुयाल, महाप्रबन्धक (मा0सं0)(औ0)।
2. श्री विवेकानन्द, उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0)(प्र0)।
3. श्री दीपक पाण्डे, लेखाधिकारी।
4. श्री राजेश कुमार, सहायक लेखाधिकारी।

विभिन्न इकाईयों से प्राप्त निस्तारित/लम्बित पेंशन प्रकरणों का विवरण एवं अद्यतन स्थिति:-

क्र० सं०	सेवानिवृत्त/ मृतक कार्मिक का नाम एवं पदनाम	सेवानिवृत्त/ मृत्यु की तिथि	इकाई का नाम	पेंशन प्रकरण की अद्यतन स्थिति	प्रकरण जिस स्तर पर लम्बित है मा0सं0 अनुभाग द्वारा उस अनुभाग को दिये गये दिशा-निर्देश
1.	श्री अनिल कुमार, मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)	31.10.2024	क्रय एवं अनु०, पिटकुल, देहरादून	दिनांक 29.10.2025 को लेखाहकदारी को प्रेषित कर दिया गया है, प्रकरण पर लेखाहकदारी कार्यालय द्वारा कार्यवाही की जा रही है।	-

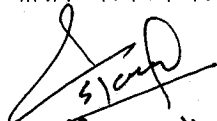
सेवानिवृत्त कार्मिकों/पारिवारिक पेंशनधारियों तथा मृतक कार्मिकों के लम्बित विभागीय देयकों/पेंशन प्रकरणों के निस्तारण तथा कार्मिकों के पदधारिता विवरण के सम्बन्ध में बैठक में निम्नलिखित निर्देश दिये गये:-

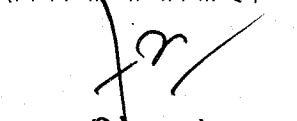
1. बैठक में उपस्थित समस्त कार्मिकों को उनके कार्यालयों में तैनात स्थायी कार्मिकों एवं संविदाकर्मियों का डाटा बेस (Database) अद्यतन कर तथा डाटा बेस में कार्मिक की नवीनतम फोटो सहित तीन दिन के अन्दर मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।
2. अधिशासी अभियन्ता, मुख्यालय भुगतान इकाई, पिटकुल, देहरादून को दिनांक 18.11.2025 तक संविदा कर्मियों का डाटा बेस तैयार करवाकर मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।
3. बैठक में खण्ड कार्यालयों से उपस्थित कार्मिकों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके नियंत्रक अधिकारी द्वारा वर्ष 2025-26 हेतु के०पी०आई० के लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं, जिस कारण उनके द्वारा वर्ष 2025-26 की के०पी०आई० के लक्ष्य प्रेषित नहीं किये गये।

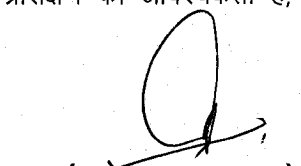
उक्त के क्रम में महाप्रबन्धक (मा0सं0) द्वारा समस्त कार्मिकों को अवगत कराया गया कि निदेशक मण्डल द्वारा वर्ष 2025-26 हेतु अनुमोदित के०पी०आई० लक्ष्य कारपोरेशन की वेब साइट पर उपलब्ध हैं, अतैव सभी कार्मिक उसके आधार पर के०पी०आई० के लक्ष्य निर्धारित प्रारूप में पूर्ण कर यथाशीघ्र मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

4. बैठक में उपस्थित सभी कार्मिकों को निर्देशित किया गया कि विभागीय एवं प्रशासनिक अनुमति से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों को भली-भाँति जांच एवं परीक्षणोपरान्त ही मानव संसाधन एवं प्रशासनिक अनुभाग को प्रेषित करें।

इस सम्बन्ध में महाप्रबन्धक (मा0सं0), पिटकुल द्वारा समस्त कार्मिकों को निर्देशित किया गया कि यदि किसी भी कार्मिक को विभागीय एवं प्रशासनिक अनुमति से सम्बन्धित प्रकरणों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो उन्हें मासिक बैठक में बैठक से पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है।


(दीपक पाण्डे)
लेखाधिकारी


(विवेकानन्द)
उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0)(प्र0)


(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)